XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व (वासगीत पर्चा) पुनरीक्षण वाद संख्या–112/08

धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 अन्तर्गत

1. श्री विशन लाल मंडल, पिता–स्व0 बोनाई मंडल, साकिन–इसलामपुर, थाना–अमौर, जिला–पूर्णियाँ– आवेदक

बनाम्

1. बिहार सरकार
2. श्री शम्भू लाल विश्वास, पिता–स्व0 फुलाई मंडल, साकिन–इसलामपुर, थाना–अमौर, जिला–पूर्णियाँ– विपक्षी

आ दे श

यह वासगीत पर्चा पुनरीक्षण वाद अंचलाधिकारी, अमौर के द्वारा वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या–89/07–08 में दिनांक 12.02.2008 को निर्गत वासगीत पर्चा के विरुद्ध दायर किया गया है।

आवेदक का कहना है कि अंचलाधिकारी का आदेश गलत है। विपक्षी वासगीत पर्चा के श्रेणी में नहीं आते है। आवेदक एवं विपक्षी Co-sharers है। जमीन वास्तव में आवेदक का है। चकबन्दी के समय सर्वे अधिकारी द्वारा नापी कर 16 डिसमिल जमीन में मकान मय सहन आवेदक एवं उसके भाई गंगा मंडल एवं पुताई मंडल के नाम अंकित है। आवेदक द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी को नोटिश निर्गत किया गया। वे उपस्थित हुए। परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का लिखित आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

अंचलाधिकारी, अमौर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। वासगीत पर्चा रद्द करने हेतु अनुशंसा किये है।

इस वाद पर विचार दिनांक 16.07.2010 एवं दिनांक 29.11.2010 को किया गया। स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी, अमौर के द्वारा खुद उनके द्वारा निर्गत कि ये गये वासगीत पर्चा को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है, इसलिये अंचलाधिकारी, अमौर को आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षों को पुनः सुनकर नियमानुसार आदेश पारित करें।

इस निर्णय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ